भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4023
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई के तहत राजस्थान में चिन्हित उत्पाद

4023. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) की "एक जिला एक उत्पाद" योजना पहल के तहत राजस्थान राज्य के जिलों से किसी उत्पाद की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से झालावाड़-बारां जिले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे उत्पादों के वर्तमान उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे जिलों को पहचाने गए गुणवत्ता वाले उत्पादों को विकसित करने और उत्पादन करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान के लिए उक्त योजना के तहत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्पादकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता/सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): जी हाँ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)" स्कीम में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण का अनुपालन करता है। राजस्थान के 33 जिलों के लिए ओडीओपी की पहचान की गई है। झालावाड़ और बारां जिले के लिए क्रमशः संतरे आधारित और लहसुन आधारित उत्पादों को ओडीओपी के रूप में मंजूरी दी गई है । झालावाड़ - बारां जिले सहित राजस्थान राज्य के लिए ओडीओपी की जिलावार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। झालावाड़ जिले में संतरा आधारित उत्पादों (ओडीओपी) के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। परंतु, बारां जिले में लहसुन आधारित उत्पादों (ओडीओपी) में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 5 ऋण स्वीकृत किए गए हैं ।

(ग) से (ङ): बारां जिले में 02.41 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ कुल 13 ऋण स्वीकृत किए गए हैं और झालावाड़ जिले में 01.61 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ कुल 10 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पीएमएफएमई स्कीम के तहत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चालू है । इस स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत पात्र संस्थाओं के साथ-साथ योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत भावी उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान राज्य को 31 अक्टूबर , 2024 तक 43.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है ।

*****

अनुबंध I

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के तहत राजस्थान में चिन्हित उत्पाद" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4023 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजस्थान राज्य के लिए ओडीओपी की जिलावार सूची

राजस्थान		
क्र. सं.	**ज़िला**	**ओडीओपी**
1.	अलवर	प्याज आधारित उत्पाद
2.	अजमेर	गुलाब आधारित उत्पाद
3.	बांसवाड़ा	आम आधारित उत्पाद
4.	बरन	लहसुन आधारित उत्पाद
5.	भरतपुर	सरसों आधारित उत्पाद
6.	बाड़मेर	अनार आधारित उत्पाद
7.	भीलवाड़ा	मक्का आधारित उत्पाद
8.	बीकानेर	मोठ (भुजिया, नमकीन, पापड़ स्नैक्स)
9.	बूंदी	चावल आधारित उत्पाद
10.	चित्तौड़	गुड़
11I	चुरू	मूंगफली उत्पाद
12.	दौसा	गेहूं आधारित उत्पाद
13.	धौलपुर	आलू आधारित उत्पाद
14.	डूंगरपुर	आम आधारित उत्पाद
15.	गंगानगर	किन्नू आधारित उत्पाद
16.	हनुमानगढ़	गेहूं आधारित उत्पाद
17.	जालौर	इसबगोल
18.	जयपुर	टमाटर आधारित उत्पाद
19.	जैसलमेर	पौष्टिक मरूद्भिदीय फल (कैर सांगरी)
20.	झालावाड़	संतरा आधारित उत्पाद
21.	झुंझुनू	फल आधारित उत्पाद (नींबू)
22.	जोधपुर	जीरा आधारित उत्पाद
23.	करौली	तिल आधारित उत्पाद
24.	कोटा	धनिया आधारित उत्पाद
25.	नागौर	मेथी आधारित उत्पाद
26.	पाली	दूध आधारित उत्पाद
27.	प्रतापगढ़	लहसुन आधारित उत्पाद
28.	राजसमंद	लघु वन उत्पाद (आंवला, जामुन, सीताफल आदि)
29.	सवाई माधोपुर	अमरूद आधारित उत्पाद
30.	सीकर	प्याज आधारित उत्पाद
31.	सिरोही	सौंफ़ आधारित उत्पाद
32.	टोंक	सरसों आधारित उत्पाद
33.	उदयपुर	लघु वन उत्पाद (आंवला , जामुन , सीताफल आदि)
कुल		**33**

*****

अनुबंध II

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के तहत राजस्थान में चिन्हित उत्पाद" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4023 के भाग (ग) से (ङ) तक के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) *वैयक्तिक/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारम्भिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *साझा अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****